GOVERNMENT OF INDIA (Bharat Sarkar)
MINISTRY OF RAILWAYS (Rail Mantralya)
(RAILWAY BOARD)
****

No. 94/TG-I/20/P/14 **New Delhi, dated 19 . 01.2010**

The General Managers,

1. Central Railway, Mumbai.
2. Eastern Railway, Kolkatta.
3. East Central Railway, Hajipur.
4. East Coast Railway, Bhubaneswar.
5. Northern Railway, New Delhi.
6. North Central Railway, Allahabad.
7. N.E. Railway, Gorakhpur.
8. N.F. Railway, Guwahati.
9. North Western Railway, Jaipur.
10. Southern Railway, Chennai
11. South Central Railway, Secunderabad.
12. South Eastern Railway, Kolkatta.
13. South East Central Railway, Bilaspur.
14. South Western Railway, Hubli.
15. Western Railway, Mumbai.
16. West Central Railway, Jabalpur.

(Commercial Circular No. 03 of 2010)

Sub: Reservation on Railway passes – Amendment to Para 638, 639 & 640 of Indian Railways Commercial Manual Vol-I.

....

Ministry of Railways have decided that para 638, 639 & 640 of 1992's Third Edition of Indian Railways Commercial Manual Vol.-I may be revised as per correction slip No. **21** enclosed.

Necessary instructions may be issued to all concerned immediately.

(Sanjay Manocha)
Dy. Director Traffic Commercial (G)-II
Railway Board

Copy to:

(i) CCMs, CCM/PMs & CCM/PSs all Zonal Railways.
(ii) General Secretary, IRCA, New Delhi-110055.
(iii) MD, CRIS, Chanakayapuri, New Delhi.

-2/-

(iv) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.

(v) EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.

(vi) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.

(vii) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway/Bhusaval, Eastern Railway Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.

(viii) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.

(ix) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.

(x) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.365-A, Rail Bhawan, New Delhi.

(xi) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.

(xii) Secretary General, All India RPF Association, Room No.549, Rail Bhawan, New Delhi.

Correction slip No.21 to the Indian Railways Commercial Manual Vol.I

Paras 638, 639 & 640 may be revised as under:-

638, 639 & 640: Reservation/Cancellation of accommodation on Railway passes

The following procedure should be adopted for providing reservations/cancellations on the Railway passes:-

(i) Pass holders or their representatives should present their passes along with the requisitions duly filled in to the Reservation Clerk who will issue ticket and make endorsement on the face of the pass indicating the train number, date of journey, status of tickets, etc.

(ii) Holders of Privilege, Duty, Post Retirement, Complimentary, Metal and other passes may be allowed to seek fresh reservation only if the earlier reservation is cancelled.

(iii) In case of confirmed reservation on Privilege, Post retirement, Complimentary and other passes, the pass holder can make maximum three time reservations provided the earlier one has been cancelled before chart preparation. If the confirmed reservation is not cancelled before preparation of charts, the pass will be treated as used. In exceptional cases, discretionary powers for allowing reservation on such passes only once can be delegated to a JA Grade level officer. At Divisional level, where any JA grade level Commercial officer is not available, the next senior most Commercial Officer may be delegated these powers.

(iv) There will be no restriction in number of cancellations in case of Duty Pass, Metal Pass and in case of tickets having a status of fully/partially Waiting List (at the time of cancellation) against Privilege, Post Retirement and Complimentary passes. However, fresh reservation will be given only after the earlier one has been cancelled within the normal prescribed time limits.

(v) Telephonic requests for reservation and cancellation will not be entertained.

(vi) The portion of break journey will be treated as separate journey i.e. instructions contained at para (iii) and (iv) will be applicable for each leg of journey separately.

(vii) It will be the responsibility of officer/staff making reservation on Metal/Duty Passes to ensure that between the same stations and on the same date, reservation should not be made in two separate trains.

****

सं. 94/टी जी-1/20/पी/14 नई दिल्ली, दि. 19.01.2010

महाप्रबंधक,

1. मध्य रेलवे, मुंबई.
2. पूर्व रेलवे, कोलकाता.
3. पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर.
4. पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर.
5. उत्तर रेलवे, नई दिल्ली.
6. उत्तर मध्य रेलवे, इलाहबाद.
7. पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर.
8. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी.
9. उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर.
10. दक्षिण रेलवे, चेन्नै.
11. दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद.
12. दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता.
13. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर.
14. दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली.
15. पश्चिम रेलवे, मुंबई.
16. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

(2010 का वाणिज्य परिपत्र सं. 03)

विषय: रेलवे पासों पर आरक्षण-भारतीय रेल वाणिज्य नियमावली, जिल्द I के पैरा 638, 639 एवं 640 में संशोधन.

रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल वाणिज्य नियमावली, जिल्द I, 1992, तृतीय संस्करण के पैरा 638, 639 एवं 640 को संलग्न शुद्धि पर्ची सं. 21 के अनुसार संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

सर्वसंबंधितों को आवश्यक अनुदेश तत्काल जारी किए जाएं.

(संजय मनोचा)
उपनिदेशक, याता.वाणि. (सा.) II
रेलवे बोर्ड

-2/-

प्रतिलिपि :-

i) सभी क्षेत्रीय रेलों के सीसीएम, सीसीएम/यात्री विपणन एवं सीसीएम यात्री सेवाएं.

ii) प्रधान सचिव, आई आर सी ए, नई दिल्ली-110055.

iii) प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.

iv) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली.

v) कार्यपालक निदेशक सतर्कता (टी), कार्यपालक निदेशक वित्त आयुक्त, निदेशक वित्त (सी), विकाधि/टीसी, एफ (सी) एवं वी (एसएस) शाखाएं.

vi) महानिदेशक, प्रोफेसर/ट्रेनिंग एवं प्रोफेसर/कमर्शियल रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.

vii) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर.

viii) महासचिव, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड, नई दिल्ली.

ix) महासचिव, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली.

x) महा सचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 365-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.

xi) महा सचिव, इरपोफ,कमरा नं. 268, रेल भवन , नई दिल्ली.

xii) महा सचिव, अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल संघ, कमरा नं. 549, रेल भवन, नई दिल्ली.

भारतीय रेल वाणिज्य नियमावली, जिल्द I

पैरा 638, 639 एवं 640 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:-

638, 639 एवं 640 : रेलवे पासों पर स्थान का आरक्षण/रद्द करना

रेलवे पासों पर आरक्षण/रद्द कराने में निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए:-

(i) पासधारी या उनके प्रतिनिधि अपने पास सहित मांगपत्रों को विधिवत् रूप से भरकर आरक्षण क्लर्क को देंगे जो टिकट जारी करेगा और गाड़ी नंबर, यात्रा की तारीख, टिकट की स्थिति आदि दर्शाते हुए पास के ऊपर पृष्ठांकन करेगा.

(ii) सुविधा, ड्यूटी, सेवानिवृत्ति के उपरांत, मानार्थ, मैटल और अन्य पासों के पासधारियों को नए आरक्षण की अनुमति तब दी जा सकती है जब उन्होंने पहले का आरक्षण रद्द करा दिया हो.

(iii) सुविधा, सेवानिवृत्ति के उपरांत, मानार्थ और अन्य पासों पर पुष्ट (कनफर्म्ड) आरक्षण के मामले में, पासधारी अधिकतम तीन बार आरक्षण करा सकते हैं बशर्ते कि चार्ट तैयार होने से पूर्व उसे रद्द करा दिया गया हो. यदि चार्ट तैयार होने से पूर्व पुष्ट आरक्षण रद्द नहीं होता तो पास का प्रयोग हुआ माना जाएगा. आपवादिक मामलों में, इस प्रकार के पासों पर आरक्षण की अनुमति के लिए विवेकाधिकार शक्तियों को केवल एक बार ही कनिष्ठ प्रशासनिक (जे ए) ग्रेड स्तर के अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकता है. मंडलीय स्तर पर , जहां जे ऐ ग्रेड स्तर का कोई भी वाणिज्यिक अधिकारी न हो तो ये शक्तियां उसके बाद के अगले वरिष्ठतम अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएं.

(iv) ड्यूटी पास, मैटल पास और सुविधा, सेवानिवृत्ति उपरांत पास और मानार्थ पासों के संबंध में पूर्ण/आंशिक प्रतीक्षा सूची (रद्द करने के समय पर) वाली टिकटों के मामले में रद्द करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं होगा. बहरहाल, नया आरक्षण केवल तभी दिया जाएगा जब पहला आरक्षण सामान्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर रद्द करा दिया गया हो.

(v) आरक्षण के लिए और रद्द करने के लिए टेलीफोन द्वारा किए गए अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

(vi) यात्रा विराम को एक अलग यात्रा के रूप में माना जाएगा अर्थात् पैरा (iii) एवं (iv) में अनुबद्ध अनुदेश यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए पृथक रूप से लागू होंगे.

(vii) मैटल/ड्यूटी पास पर आरक्षण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगा कि अलग-अलग दो गाड़ियों में उसी स्टेशन की और उसी तारीख का आरक्षण न हो.